

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 55/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)– केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और धारा 139 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, ऐसे संपूर्ण माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण से छूट प्रदान करती है, जो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 136, धारा 138 और धारा 139 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार